

प्री-स्कूल शिक्षा के ढांचे के भीतर 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं की जांच और इसके संभावित प्रभाव का आकलन

सौरभ शुक्ला¹ and डॉ. सचिन कुमार प्रभाकर²

अनुसंधान विद्वान, विभाग -शिक्षा¹

शोध निर्देशक, विभाग -शिक्षा²

सनराइज विश्वविद्यालय, अलवर, राजस्थान

सार

नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा कार्यक्रम को पुनर्जीवित करना है क्योंकि लगभग 85% बच्चे का संचयी मस्तिष्क प्रसार 6 वर्ष की आयु से पहले होता है। यह पहल सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि वाले समुदायों के लिए विशेष जोर देने के साथ की गई है ताकि प्रत्येक प्रीस्कूलर का बेहतर प्रतिमान विकास सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रत्येक बच्चे को जीवन में आगे बढ़ने और भविष्य में बेहतर आउटपुट देने और राष्ट्र के लिए एक उपयोगी नागरिक बनने के लिए अपने कौशल को बढ़ाने की अनुमति देगा। वर्तमान डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत ने समुदाय के प्रत्येक सदस्य को अनिवार्य बुनियादी कौशल के साथ पुनर्जीवित करना अनिवार्य बना दिया है। उदाहरण के लिए, बुनियादी वित्तीय लेनदेन, ऑनलाइन नौकरी के आवेदन पत्र, बिजली बिल, शुल्क भुगतान, घर की खरीदारी, और भी बहुत कुछ। महामारी की स्थिति ने समुदाय के बीच उथल-पुथल को संशोधित किया है, जिसने फिर से लोगों के बीच बुनियादी शिक्षा की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। भारत ने पूरे देश में साक्षरता के अधिकतम प्रसार को सुनिश्चित करने के लिए “शिक्षा का अधिकार अधिनियम” और “सर्व शिक्षा अभियान” जैसी पहलों के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्तमान अभूतपूर्व परिदृश्य के साथ, एनईपी-2020 की प्रमुख विशेषताओं, इसकी भूमिका, निहितार्थ, भविष्य के प्रभाव और इससे जुड़े विभिन्न हितधारकों की भूमिका की पहचान करने के लिए एक प्रेरक व्यवहार स्थापित करने की आवश्यकता है। वर्तमान समीक्षा का उद्देश्य प्रीस्कूलर के विकास के प्रति एनईपी-2020 के अनिवार्य दृष्टिकोण और समुदाय के वंचित समूहों और गैर-साक्षर सदस्यों के लिए इसके महत्व को समझना है।

शब्दकोश: राष्ट्रीय शिक्षा नीति; पूर्वस्कूल शिक्षा; समुदाय; साक्षरता; शिक्षा।